

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०— 08/2016-17

वाद का प्रकार:— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9.11.22	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>8.12.2022</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8.12.22	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित —श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म अनाबाद) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:— मौजा <u>मुसमबाग</u> थाना नं० <u>328</u> खाता सं० <u>37</u> प्लॉट सं० <u>984</u> रकबा <u>3:38</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म अनाबाद अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>135</u> के पृष्ठ सं० <u>135</u> पर जमाबंदी रैयत <u>अनाबाद</u> <u>मुसमबाग</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं	

उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.22

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में राजस्व भू-दान अग्र कमी के हवा बिस् गे पंजी सं- 7/016 एवं निरु रखि 6 वर्ष-2013-14 समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.1.23

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा मुसमबा मौजा नं० 328 खाता सं० 37 प्लॉट सं० 1026 रकबा 1.50 किस्म गैरमजरुआ खतियान के अनुसार गैरमजरुआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत/ वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूँकि उक्त प्लॉट का किस्म गैरमजरुआ दर्ज है, अतः जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार बैगा भुया पिर भुखी भुमि के नाम से पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 135/1 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 135/1 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला
चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पल्लार, अंचल हरद्वार

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
खैरा मुईया पिता	गुलामगढ़ा	328	37	1026	1.50	जंगल (आ गाँव)	जंगल सारी
मुखी मुईया			11	934	0.37 1/2	रैयति	-
			28	1092	0.37 1/2	रैयति	-

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- ब्लॉक स. 1026 जंगल सारी एवं ब्लॉक स. 934, 1092 परती

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी-II में ग्रांज संधारण वर्ष 1985-86 दर्ज है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

पंजी II में दर्ज करने वाले पदा. का नाम एवं हरगर्भ अंकित नहीं है। -

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

— NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिवारित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

जमाबंदी कायम किये जाने का कोई स्पष्ट आधार दर्ज नहीं है।

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (1000/- रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित संतोषरती पंजी से

(ग) दाखिल-खारिज / भू-उत्तरांतरण / नामांतरण पंजी से :-

अंचल कार्यालय में उपलब्ध पालु मोग पंजी-प्र से।

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :- नहीं

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

प्रतिवेदन ग्राम गौला मुल्काला के खसरा सं० 37, 11, 28 (लॉट सं० 1026, 934, 1092) कुल रकबा 2.25 एकर का मांग बैरगा मुखिया पिता भूखी मुखिया के नाम से पंजी प्र के पेज सं० 135/1 पर दर्ज है। खसरा सं० 37 (लॉट सं० 1026) रकबा 1.50 एकर फिर जंगल सारी और जंगल गलित खसरे कि भूमि है। तथा खसरा सं० 11, 28 (लॉट सं० 934, 1092) रकबा कुल 0.75 ए. भूमि रेंजिंग खसरे की है (लॉट सं० 11 एवं 28) का स्वतंत्र जीर्णोद्धार अवस्था में होने के कारण (लॉट सं० 11 एवं 28) का फिर का पता नहीं पाया गया। और जंगल खसरे की भूमि आयेदाद को बुझारत ग्राम यंत्र समिति के द्वारा प्रपत्र 05 में जितका क्रम सं० 71016/14200 है में जा रहा है जितने (लॉट सं० 1026) का फिर यंत्र में दर्ज है जो अंचल कार्यालय में उपलब्ध भूत रेंजिंग जितने कि जंगल सारी है से लेने नहीं खसरा है। इसी विषय में रत मांग में दर्ज खसरा सं० 37 (लॉट सं० 1026) रकबा 1.50 एकर फिर जंगल सारी का मांग अवैध प्रमाण होता है। अब रत मांग से गौला मुल्काला (पत्र की भूमि) (लॉट सं० 37, (लॉट सं० 1026) (रकबा 1.50 एकर) को अवैध करार देते हुए तथा शेष भूमि का मांग पचापत्र रखते हुए Act 4(h) की शर्तों की जा सकती है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, वहीं मांग। और उपरोक्त जमाबंदी में से गौला मुल्काला खसरा की मांग को खट करे। इसे शेष भूमि को मभावत रखने की अनुशंसा किया जाता है।

मंचल अधिकारी,

छत्तरपुर।

भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त,
पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- वैष्णव भूईया पिता - भूखी भूईया
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं: 135 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
मुसामावा	328	37	1026	1.50
		11	934	0.37 1/2
		28	1092	0.37 1/2

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी II में जमाबंदी कायम वर्ष 1985-86 दर्ज है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- खारा सं 37 जे (गजाना भादिक)
खारा सं 11, 28 रैयति
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- दर्ज नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार पंजी II में जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- दर्ज नहीं है।
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:- अंचल कार्यालय में उपलब्ध आर्यु मंज पंजी II से

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	4762878	22/01/2010	2010-11

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० ८ / 20^{16/17} (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम मौजा मुईया

पिता - लैगा मुईया

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा मुईया थाना नं० 528 खाता सं० 37 खेसरा नं० 934 ^{1026, 1092} रकबा 3.38 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० 35 के पंजी-II भाग I के पृष्ठ 35 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे प्रकट साक्षित करने।




अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।